



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 223 / 12-1 दिनांक, मसूरी 16 -07-2019।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद-देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-10.400किमी0) के नव निर्माण हेतु वांछित 3.528है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तव का प्रस्ताव। आनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/20710/2016.

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की फाईल सं0 8बी./यू.सी.पी./06/120/2018/एफ.सी./586, दिनांक 11-06-2019 एवं आपका ई0डी0एस0 दिनांक 15-06-2019

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित पूर्व से कच्चा मार्ग उपलब्ध है तो इसकी पुष्टि हेतु 1980 से पूर्व की Survey of India की टोपोशीट तथा लाभान्वित होने वाले ग्राम भितरली की स्थिति KML File पर अंकित कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश के अनुपालन में प्रस्तावक / पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा अपने ई0डी0एस0 पत्र सं0 780/ पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/दे0दून/वन भूमि दिनांक 05.07.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि सर्वे आफ इण्डिया द्वारा अपने पत्रांक 2030, दिनांक 03-07-2019 (प्रति संलग्न) में सम्बंधित क्षेत्र की 1980 से पूर्व की सर्वे आफ इण्डिया की टोपोशीट सैन्य क्षेत्र होने के कारण उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में 1988 की सर्वे आफ इण्डिया की टोपोशीट मानचित्र /वांछित सूचना अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है।

विषयांकित प्रकरण में प्रस्तावक / पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी वांछित सूचना /मानचित्र की हार्ड प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक

223

तददिनांकित।

प्रतिलिपि - 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक/ पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी 1988 की सर्वे आफ इण्डिया की टोपोशीट मानचित्र /वांछित सूचना अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून को उनके पत्र सं0 780/ पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/दे0दून/वन भूमि दिनांक 05.07.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कहकशां नसीम)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



पत्रांक 780/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०-दे०दून/वन भूमि

दिनांक 05/07/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी, उत्तराखण्ड।

विषय:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरकुल गांव से भीतरली किमाडी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-10.400 किमी०) के नव निर्माण हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड को हस्तान्तरण प्रस्ताव। (FP/UK/ROAD/20710/2016)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक- 8बी./यू.सी.पी./06/120/2018/एफ.सी./586, दिनांक 11.06.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून द्वारा 1980 के पूर्व की सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट एवं लाभान्वित होने वाले ग्राम भीतरली की स्थिति के०एम०एल० फाईल पर अंकित कर भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में यह अवगत कराना है, कि सर्वे आफ इण्डिया द्वारा अपने पत्रांक-2030, दिनांक 03.07.2019 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है, कि सम्बन्धित क्षेत्र की 1980 के पूर्व की सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट सैन्य क्षेत्र होने के कारण उपलब्ध नहीं करायी जा सकती (पत्र संलग्न), सर्वे आफ इण्डिया द्वारा इस कार्यालय को 1988 की सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट उपलब्ध करायी गयी है।

अतः सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी 1988 की टोपोशीट एवं ग्राम भीतरली की स्थिति के०एम०एल० फाईल आपको इस आशय से प्रेषित है, कि कि प्रभाग स्तर से प्रकरण में शीघ्र अतिशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- 1- टोपोशीट हार्ड कॉपी में।

2- सी०डी० (के०एम०एल० फाईल एवं टोपोशीट की सॉफ्ट कॉपी)

3- सर्वे आफ इण्डिया का पत्रांक-2030 दिनांक 03.07.2019।

अधिशाली अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
6-इन्दिरा नगर, देहरादून।

पत्रांक /पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०-दे०दून/वन भूमि/तदिनांक

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता- प्रथम, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि वन भूमि के प्रस्तावों को व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग मसूरी कार्यालय से सम्पर्क कर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें साथ ही इस कार्यालय को सूचित करें एवं साप्ताहिक प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

ई-मेल :
mriw.made.soi@gov.in
E-mail
दूरभाष : 0135 - 2747051-58
Phones
फैक्स : 0135 - 2749793



निदेशक
मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र
OFFICE OF THE DIRECTOR
Map Archive & Dissemination Centre
डाक बक्स सं. 28 Post Box No. 28,
हाथीबड़कला, देहरादून | Hathibarkala, Dehradun
(उत्तराखण्ड) 248 001 भारत-(Uttarakhand) - 248 001

इस पत्र का उत्तर निदेशक, मानचित्र एवं प्रसार केन्द्र के पते से भेजना चाहिए, किसी अधिकारी के नाम से नहीं। उत्तर देते समय इस पत्र की संख्या और दिनांक दी जानी चाहिए। Any reply to this letter should be addressed to the Director, Map Archive & Dissemination Centre, Not to any officer by name. The No. & Date of this letter should be quoted.

संख्या: आर.आई. - 2030 / 1232/2010 (सिंचाई खण्ड- उत्तराखण्ड)

दिनांक 03/08/2019

सेवा में

अधिशाली अभियंता
पी.एम.जी.एस. वाई
सिंचाई खण्ड-6, इंदिरा नगर
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय : टोपो शीट संख्या 53J/3 (प्रथम संस्करण- 1972) की आपूर्ति के संबंध में ।

सन्दर्भ: भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र संख्या त. 3853/1147-स्कैन डाटा, दिनांक 01-07-2019.

आपके द्वारा वांछित टोपो शीट संख्या 53J/3 (प्रथम संस्करण-1972) में सैन्य क्षेत्र को भी दर्शाया गया है । जिसकी आपूर्ति गैर-सैन्य विभागों को नहीं की जा सकती है ।

(अजय प्रिय उनियाल)

अधिकारी सर्वेक्षक

प्रभारी मानचित्र अभिलेख एवं निर्गम खण्ड

प्रतिलिपि: भारत के महासर्वेक्षक को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ ।

का/प्र
21/08/19

